पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
(सीकर-झुंझुनूं स्टेट हाईवे, कटराथल जिला-सीकर 332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: प.10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013-14/15523 दिनांक: 06.02.2020

प्रबंध मण्ड़ल की बैठक दिनांक 05.02.2020 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 05.02.2020 को कुलपति सचिवालय में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:-

1.	प्रो. बी.एल.शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ.एन.के.बावलिया	मा. सदस्य प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा
3.	डॉ0 हैमबारी	मा. सदस्य (डीन, विधि)
4.	डॉ0 डी.पी.मीणा	मा. सदस्य (डीन, कला)
5.	श्री मूल चन्द सैनी	मा. सदस्य (प्राचार्य)
6.	डॉ0 सत्येन्द्र सिंह	मा. सदस्य (प्राचार्य)
7.	श्री गोविन्द नारायण घसिया	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
8.	श्री एम.एस. पूनिया	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
9.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 14.10.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 01 : सर्वानुमति से प्रबंध मण्ड़ल की गत बैठक दिनांक 14.10.2019 के सभी एजेण्डा बिन्दु निर्णयों का अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: दिनांक 04.12.2019 को आयोजित बिल्डिंग कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 02 : सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी/भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 04.12.2019 को मय संलग्नक निम्न रूप में अनुमोदित किया जाता है।

2.1 भवन निर्माण समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13.08.2019 के कार्यवृत के अनुमोदन को स्वीकार किया जाता है।

2.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखांवाटी विश्वविद्यालय,सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित निर्माण एवं विकास के लिए आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर (सीकर इकाई) के पत्र संख्या पी.डी./सीकर/2019-2020/45 दिनांक 21.11.2019 में उल्लेखित निर्माण एवं विकास के लिए प्राप्त पत्र के एस्ट्रेक्ट 1 से 49 में उल्लेखित तथा जिसकी कीमत एस्ट्रेक्ट पार्ट-बी (सेनेट्ररी) जो उक्त एस्ट्रेक्ट के क्रम संख्या 1 से 48 में उल्लेखित है तथा एस्ट्रेक्ट पार्ट-सी (कम्पाउन्ड वॉल वर्क) 1 से 49 में उल्लेखित है के कार्य एवं एस्टीमेट जिसमें अन्य अनुषागिक कार्य भी शामिल है, तथा जिसे भवन निर्माण समिति ने अपनी बैठक दिनांक 4.12.2019 के एजेण्डा

निर्णय बिन्दु संख्या 2 द्वारा स्वीकार एवं अनुमोदित किया है। इस निर्णय को प्रबंध मण्ड़ल के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।

संलग्नकः आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर (सीकर इकाई) के पत्र संख्या पी.डी. /सीकर/2019–2020/45 दिनांक 21.11.2019.

2.3 सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर के कटराथल परिसर पर स्थित कुलपति निवास पर मॉडूलर किचन के निर्माण के लिए भवन निर्माण समिति के एजेण्ड़ा निर्णय संख्या 3 में अनुमत, अनुमोदित तथा उक्त निर्णय के लिए प्रस्तावित अनुमानित खर्च एक लाख रू. की राशि के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है।

2.4 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की योजना तथा राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई सूचनाओं, समन्वय समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्माण, विकास एवं क्रय के संबंध में भवन निर्माण समिति के एजेण्ड़ा निर्णय संख्या 4 के सभी निर्णयों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है। जिसमें निम्न निर्माण एवं विकास कार्य शामिल हैः

2.4.1 स्मार्ट विश्वविद्यालय एवं स्मार्ट क्लास के विकास एवं स्थापना के निर्णय को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता हैः

2.4.1.1 विश्वविद्यालय परिसर एवं सभी भवनों के लिए गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोतों का विकास एवं संरचना के बिल्डिंग, कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.1.2 विश्वविद्यालय परिसर पर मुख्य प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक ब्लॉक एवं पुस्तकालय के मध्य हरा–भरा प्लाजा जिसमें थियेटर के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान हो, के निर्माण एवं विकास के बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.1.3 सम्पूर्ण विश्वविद्यालय हरा–भरा एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर के रूप में विकसित करने के बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.1.4 स्मार्ट क्लास रूम जिसमें इन्टरेक्टिव टी.वी. बोर्ड, डिजिटल पोडियम, स्केनिंग इत्यादि व्यवस्था का समावेश हो ऐसी व्यवस्था एवं विकास को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

नोटः स्मार्ट क्लास रूम के साथ–साथ स्मार्ट विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, सेमीनार हॉल, मिटिंग हॉल, कॉनफ्रेस हॉल इत्यादि में भी इन्टरेक्टिव टी.वी. बोर्ड, डिजिटल पोडियम, स्केनिंग तथा माईक एवं सिंटिंग तथा टेबल, चेयर विभिन्न वैटिंग लान्ज हेतु व्यवस्था का समावेश हो ऐसी व्यवस्था के विकास को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है तथा इस व्यवस्था विभिन्न मिटिंग हॉल, कॉन्फ्रेस हॉल तथा थियेटर की चेयर तथा फर्नीचर एवं अनुषागिक साधनों के विकास/व्यवस्था/क्रय की स्वीकृति को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.2 सर्वसम्मति से इनोवेशन एवं स्टार्टअप हेतु एनकमबोनेशन सेन्टर को विकसित करने को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.3 सर्वसम्मति से केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु संरचना एवं अनुषागिक कार्य हेतु आवश्यक विकास करने को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.4 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय परिसर में आटोमिटिक राष्ट्रीय ध्वज हेतु निर्माण कार्य करने को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2.4.5 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर एक्सिलेन्स स्थापित करने को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन विकसित करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 4.12.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य एजेण्ड़ा के संदर्भ में लिये गये निर्णयों का अनुमोदनः

1. सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित फायबर केबल बिछाने हेतु बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुमानत 800 मीटर ट्रेन्च खुदवाने के कार्य को अनुमत करने के बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

   नोटः बिल्डिंग कमेटी के उपरोक्त सभी निर्माण हेतु बिल्डिंग कमेटी द्वारा वित्तीय प्रावधान करने को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: दिनांक 04.12.2019 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 03 : सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के वित्त समिति की बैठक दिनांक 4.12.2019 के सभी निर्णयों को अनुमादित कर निम्नविवरणानुसार मय संलग्न दस्तावेजों के स्वीकार किया जाता है।

3.1 वित्त समिति की बैठक 25.5.2019 की बैठक के सभी निर्णयों को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित सभी निर्णयों को अनुमोदित किया जाता है।

3.2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित निर्माण एवं विकास के लिए आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर (सीकर इकाई) के पत्र संख्या पी.डी./सीकर/2019–2020/545 दिनांक 21.11.2019 में उल्लेखित निर्माण एवं विकास के लिए प्राप्त पत्र के एस्ट्रेक्ट 1 से 49 में उल्लेखित तथा जिसकी कीमत एस्ट्रेक्ट पार्ट–बी (सेनेट्ररी) जो उक्त एस्ट्रेक्ट के क्रम संख्या 1 से 48 में उल्लेखित है तथा एस्ट्रेक्ट पार्ट–सी (कम्पाउन्ड वॉल वर्क) 1 से 49 में उल्लेखित है के कार्य एवं एस्टीमेट जिसमें अन्य अनुषागिक कार्य भी शामिल है, तथा जिसे वित्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक 4.12.2019 के एजेण्ड़ा निर्णय बिन्दु संख्या 2 द्वारा स्वीकार एवं अनुमोदित किया है। इस निर्णय को प्रबंध मण्ड़ल के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है। यह भी निर्णय किया जाता है कि उक्त प्रस्तावों हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को संलग्न एस्टीमेट अनुसार विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च करने की स्वीकृति दी जाती है तथा निजी आय में से इस संदर्भ में बजट में संशोधित वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकार किया जाता है। (संलग्नक 2 **संशोधित बजट 2019–2020**)

संलग्नकः आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर (सीकर इकाई) के पत्र संख्या पी.डी. /सीकर/2019–2020/545 दिनांक 21.11.2019.

तद्नानुसार सर्वानुमति से उपरोक्त संलग्नक के संबंध में वित्त वर्ष 2019–20 के अनुमानित बजट में निम्नांकित संशोधन के साथ पूरक बजट मय वित्तीय प्रावधानों के स्वीकृत एवं पारित किया जाता है:

L	Development of Infrastructul Assets from			
	Administrative Bulinding+ V.C. Sect, Celler, exam	1390	500	890.00
	North Block (Academic and Conclve Center)	1275	200	1075.00
	South Block (Library)	1275	200	1075.00
	Vice Chancellor Lodge	150	50.00	100.00
	Deviation in Quantity/ Services/Work *(as per the detail mentioned in RSRDC Letter 745 Date 3-02-2020)* *Note:* उक्त डेवियशन को प्रबंध मण्डल के निणर्य संख्या 4.1 दिनांक 5.02.2020 द्वारा पारित किया गया है।	0.00		240.56
	Construction: Servent Quater, , Garrage/ Compoud Wall, Land Scapping, Drainage, Electric Fixtures etc. *(as per the detail mentioned in RSRDC Letter 545 Date 21-11-2019)*	0.00		496.48
	Total - L	40.90	—	3877.04

नोटः प्रबंध मण्डल की वर्तमान बैठक के निर्णयानुसार अनुमत पूरक बजट प्रावधान के प्रभावों से प्रभावित होने वाले अन्य बजट प्रविष्टियों में पूरक बजट के प्रावधानानुसार वांछित संशोधन अनुमत करने का निर्णय लिया जाता है। तद्नानुसार संशोधन किये जाये।

3.3 सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,सीकर के कटराथल परिसर पर स्थित कुलपति निवास पर मॉडूलर किचन के निर्माण के लिए वित्त समिति के एजेण्ड़ा निर्णय संख्या 3 में अनुमत, अनुमोदित तथा उक्त निर्णय के लिए प्रस्तावित अनुमानित खर्च एक लाख रू. की राशि के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है। यह भी निर्णय किया जाता है कि उक्त प्रावधान हेतु आवश्यक खर्च विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

3.4 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की योजना तथा राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दी गई सूचनाओं, समन्वय समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्माण, विकास एवं क्रय के संबंध में वित्त समिति के एजेण्ड़ा निर्णय संख्या 4 के सभी निर्णयों को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है। जिसमें निम्न निर्माण एवं विकास कार्य शामिल है:

2.4.1 स्मार्ट विश्वविद्यालय एवं स्मार्ट क्लास के विकास एवं स्थापना के निर्णय को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.1 विश्वविद्यालय परिसर एवं सभी भवनों के लिए गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोतों का विकास एवं संरचना के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.2 विश्वविद्यालय परिसर पर मुख्य प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक ब्लॉक एवं पुस्तकालय के मध्य हरा–भरा प्लाजा जिसमें थियेटर के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान हो, के निर्माण एवं विकास के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.3 सम्पूर्ण विश्वविद्यालय हरा–भरा एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर के रूप में विकसित करने के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.4 स्मार्ट क्लास रूम जिसमें इन्टरेक्टिव टी.वी. बोर्ड, डिजिटल पोडियम, स्केनिंग इत्यादि व्यवस्था का समावेश हो ऐसी व्यवस्था एवं विकास को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में फोनेटिक लैब की संरचना, स्थापना, लैब के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन, फर्नीचर एवं अनुषागिक सेवाओं तथा साधनों के क्रय, उपापन, निर्माण करने की अनुमति तथा उक्त प्रयोजन से विश्वविद्यालय की निजी आय से वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

नोटः स्मार्ट क्लास रूम के साथ–साथ स्मार्ट विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, सेमीनार हॉल, मिटिंग हॉल, कॉनफ्रेस हॉल इत्यादि में भी इन्टरेक्टिव टी.वी. बोर्ड, डिजिटल पोडियम, स्केनिंग तथा माईक एवं सिंटिंग तथा टेबल, चेयर विभिन्न वैटिंग लान्ज हेतु व्यवस्था का समावेश हो ऐसी व्यवस्था के विकास को बिल्डिंग कमेटी के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है तथा इस व्यवस्था हेतु विभिन्न मिटिंग हॉल, कॉन्फ्रेस हॉल तथा थियेटर की चेयर तथा फर्निचर एवं अनुशांगिक साधनों के विकास / व्यवस्था / क्रय की स्वीकृति को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.5 विश्वविद्यालय में निशुल्क वाई–फाई युक्त परिसर की व्यवस्था हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकार एवं अनुमादित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.6 विश्वविद्यालय में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता की व्यवस्था हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय / अन्य स्त्रोतों से यदि प्राप्त होती है तो उस आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.7 सर्वनुमति से विश्वविद्यालय में ई–लाइब्रेरी की संरचना एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा यह भी स्वीकार किया जाता है, उक्त संरचना हेतु आवश्यक साधनों एवं डिवाइस के उपापन की

व्यवस्था संरचना, साधन एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के निर्णय को भी स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय/अन्य आय प्राप्त हो तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स एवं रिसर्च के पुस्तकालय भवन में विकास के लिए भौतिक संसाधन, संरचना, उपकरण, पुस्तकें, सामयिक पत्र-पत्रिकाऐं, ऑडियों विजुवल, फोटो चित्र, फोटो चित्र के फ्रेमिंग इत्यादि संसाधनों के क्रय, उपापन, विकास एवं निर्माण की अनुमति एवं विश्वविद्यालय के निजी आय से वित्तीय प्रावधान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.1.8 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में एन्टी प्लेगरिजम सॉफ्टवेयर की स्थापना/संरचना एवं अनुसांगिक साधनों, डिवाइस के उपापन की व्यवस्था हेतु संरचना/साधनों, उपकरणों के क्रय को वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.9 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में दिव्यांग जनो हेतु उचित व्यवस्था, अनुषागिक व्यवस्था एवं डिवाइस की व्यवस्था हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.10 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय से स्मार्ट विज्ञान लैब के उपापन हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना को वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.11 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु आवश्यक संरचना एवं आवश्यक सांधनों एवं विकास हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.12 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में ऑन-लाईन संबंधता हेतु संरचना एवं अनुशांगिक साधनों हेतु उपापन एवं विकास हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.13 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में एकीकृत विद्यार्थी पहचान-पत्र हेतु आवश्यक संसाधनों एवं अनुषागिक संसाधनों के उपापन एवं विकास हेतु संरचना, साधनों एवं उपकरणों के क्रय एवं स्थापना को वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से

प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.1.14 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में विकास एवं शिकायत निवारण पोर्टल हेतु आवश्यक उपापन एवं अनुषागिक साधनो के उपापन एवं विकास हेतु संरचना, साधनों के क्रय एवं स्थापना के वित्त समिति के निर्णय को अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी/अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त होती है तो उक्त व्यवस्था विकसित करने के उक्त प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है।

2.4.2 सर्वसम्मति से इनोवेशन एवं स्टार्टअप हेतु एनकमबोनेशन सेन्टर को विकसित करने को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.3 सर्वसम्मति से केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु संरचना एवं अनुशांगिक कार्य हेतु आवश्यक विकास करने को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.4 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय परिसर में आटोमिटिक राष्ट्रीय ध्वज हेतु निर्माण कार्य करने को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.4.5 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर एक्सिलेन्स स्थापित करने को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन विकसित करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त प्रस्ताव के क्रियावन हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 4.12.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य एजेण्ड़ा के संदर्भ में लिये गये निर्णयों का अनुमोदनः

1. सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर प्रस्तावित फायबर केबल बिछाने हेतु बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुमानत 800 मीटर ट्रेन्च खुदवाने के कार्य को अनुमत करने के वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

   नोटः वित्त समिति के उपरोक्त सभी निर्माण हेतु वित्त समिति द्वारा वित्तीय प्रावधान करने को वित्त समिति के निर्णय को स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जाता है।

2. सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर बी.एस.एन.एल. द्वारा टेलीफोन कनेक्शन हेतु पी.आर.आई के प्लान 10000 को वित्तीय प्रवधानों के साथ वित्त समिति के निर्णय को स्वीकार किया जाता है।

3. सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर बी.एस.एन.एल. द्वारा बैन्ड़विडथ 100 एम.बी.पी.एस(1:1)इन्टरनेट लीजलाईन हेतु प्रस्तावित एवं वित्त समिति द्वारा

स्वीकृत निर्णय को वित्तीय प्रावधानों के साथ वित्त समिति के निर्णय को स्वीकार किया जाता है।

4. सर्वानुमति से राजस्थान राज्य सरकार के पत्र 15.11.2019 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की निजी आय से हुई बचत को ब्याज सहित पी.डी.खातें में जमा कराने एवं वर्किंग पूंजी अधिशेष राशि की सूचना के संदर्भ में निम्न निर्णय किये जाते है:

   अ. विश्वविद्यालय को पी.डी.खाते में निजी आय की राशि को जमा करवाने से पूर्व एक समुचित वर्किंग पूंजी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखनी अनिवार्य है तथा समुचित राशि का निर्णय विश्वविद्यालय को ही करने का अधिकार होगा।

   ब. विश्वविद्यालय के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए निजी आय को ब्याज सहित पी.डी. खातें मे जमा कराने की अनुमति देने का निर्णय किया जाता है।

   स. वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा जो राशि एफ.डी. के रूप में जमा है, उनके परिपक्व होने पर ही परिपक्वता के आधारित तबको के क्रम में ब्याज सहित पी.डी. अकाउन्ट में जमा करवाने का निर्णय किया जाता है।

5. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक वर्ष 2019–20 की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओ के लिए क्रय हेतु टेण्ड़र/प्रक्रिया/परीक्षा हेतु उपयोग के लिए वाहन किराया, वाहन हेतु टेण्डर प्रक्रिया एवं परीक्षा कार्य के आउटसोर्स के संबंध में परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात प्रस्तावित एवं निष्पादित होने वाले कार्य के टेण्ड़र प्रक्रिया को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदित एवं स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के लिए संलग्न दर के अनुसार विभिन्न कक्षों एवं कार्यालयों की संलग्न विवरणानुसार नाम पट्टिका बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाता है। (**संलग्नक**)

   नोटः वित्त समिति की बैठक दिनांक 4.12.2019 के सभी निर्णयों को अनुमोदित कर उनके लिए वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 04 :

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.1. आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, पुस्तकालय एवं कुलपति निवास के संदर्भ में प्रस्तुत रिवाइज जनरल एब्सट्रेक्ट पर चर्चा एवं निर्णय। (संलग्नक 3 Revised General Abstrect, Construcation of Administrative, Academic, Library Block & V.C. Residence at Shekhawati University, Katrathal, Sikar)

नोटः पूर्व में उक्त निर्माण एवं सेवा पर प्रस्तावित राशि 50,71,31,327.29 थी, वर्तमान में प्रस्तुत एब्सट्रेक्ट के अनुसार उक्त राशि 53,11,87,090.46 अतिरिक्त कार्य के मात्रा एवं सेवा में डेवियसन के कारण रिवाइज की गई है।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 04.1: सर्वसम्मति से आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, पुस्तकालय एवं कुलपति निवास के संदर्भ में प्रस्तुत रिवाइज जनरल एब्सट्रेक्ट के अनुमानित खर्च को संलग्नक 3 के विवरण/प्रस्तावित खर्च के साथ स्वीकार किया जाता है तथा इस हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय से वित्तीय प्रावधान

करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं इस हेतु वर्ष 2019–20 के बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोटः पूर्व में उक्त निर्माण एवं सेवा पर प्रस्तावित राशि 50,71,31,327.29 थी, वर्तमान में प्रस्तुत एब्सट्रेक्ट के अनुसार उक्त राशि 53,11,87,090.46 अतिरिक्त कार्य के मात्रा एवं सेवा में डेवियसन के कारण रिवाइज की गई है। उक्त डेवियसन एवं अतिरिक्त खर्च के वित्तीय प्रावधान को स्वीकार किया जाता है।

सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के 2019–20 बजट के डिटेलड़ एक्सपेनडिचर बजट हैड के क्लॉज L में Vice-Chanceelor Lodge मद के बाद डेवियसन खर्च के रूप में 2,40,55,763.17 के रूप में इन्द्राज कर संबंधित क्लॉज में कुल राशि में परिर्वतन करने के संसोधन को निम्नानुसार स्वीकार किया जाता हैः

L	Devlopment of Infrastructul Assets from			
	Administrative Bulinding+ V.C. Sect, Celler, exam	1390	500	890.00
	North Block (Academic and Conclve Center)	1275	200	1075.00
	South Block (Library)	1275	200	1075.00
	Vice Chancellor Lodge	150	50.00	100.00
	Deviation in Quaintity/ Services/Work	0.00		240.56
	Constrution: Servent Quiter, Garrage/ Compud Well, Land Scapping, Drainage, Electic Fixtures as per the detail mentioned in RSRDC Letter 545 Date 21-11-2019 *Note:* उक्त डेवियशन को प्रबंध मण्डल के निणर्य संख्या 3.2 दिनांक 5.02.2020 द्वारा पारित किया गया है।	0.00		496.48
	Total - L	40.90	—	3877.04

नोटः प्रबंध मण्डल की वर्तमान बैठक के निर्णयानुसार अनुमत पूरक बजट प्रावधान के प्रभावों से प्रभावित होने वाले अन्य बजट प्रविष्टियों में पूरक बजट के प्रावधानानुसार वांछित संशोधन अनुमत करने का निर्णय लिया जाता है। तदनुसार संशोधन किये जाये।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.2. विश्वविद्यालय की अर्जित निजी आय से अधिशेष जमा राशि जिनकी एफडीआर पंजाब एंड सिध बैंक तथा अन्य बैंकों में खातो में जमा अधिशेष राशि को सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर के कार्यवाही विवरण एफ. 1(42)आरबी/2018 दिनांक 14.12.19 एवं वित विभाग की बैठक कार्यवाही विवरण प.18(11)वित अंकेक्षण/2019 दिनांक 01.10.19, राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग का पत्रांक प.12(2)उ.शि./ग्रुप–5/2015/पार्ट–1 दिनांक 30.12.19 द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना मे राजस्थान सरकार वित (मार्गोपाय) विभाग से प्रस्तावित ब्याज सहित पीडी खाता खोलने की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिशेष निधियो को इस पीडी खाते मे देय 5.30 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा कराने की स्वीकृति हेतु निर्णय।

निणर्य एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.2 सर्वानुमति से इस संदर्भ में प्रबंध मण्ड़ल की बैठक दिनांक 5.02.2020 में एजेण्ड़ा निर्णय संख्या 4 जिसमें वित्त समिति के इसी विषय पर प्रस्तुत निर्णय पर निर्णय किया गया है, के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय किया जाता है।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.3. विश्वविद्यालय के वित वर्ष 2016–17 एवं कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के अतर्गत आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को वित वर्ष 2016–17 मे प्राप्त आय को आयकर अधिनियम के प्रावधानो के तहत कर योग्य मानकर रू0 25,19,61,850 आयकर की डिमाड कायम कर वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने पर इस राशि को कर मुक्त करने हेतु अपील दिनांक 19.11.19 को दायर की गयी है एवं साथ ही वसूली पर स्थगन हेतू आवेदन किया गया जिस पर उपायुक्त, सर्किल (एकजेम्प्ट) जयपुर ने पत्र दिनांक 31.1.20 द्वारा डिमाड राशि की 20 प्रतिशत राशि रू. 5,03,92,370/– दिनांक 7.2.20 तक जमा करवाकर दिनांक 10.2.20 तक जमा राशि का चालान प्रस्तुत करने हेतू आदेशित किया है तथा शेष राशि जमा कराने हेतू दिनांक 31.12.20 अथवा अपील के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया है। उक्त 20 प्रतिशत जमा राशि भी अपील के निर्णय के अध्यधीन होगी। राशि जमा नही कराने की स्थिति मे दंडात्मक कार्यवाही एव विश्वविद्यालय के बैंक खाते सीज करने हेतु भी कहा है। अतः आयकर डिमांड की 20 प्रतिशत राशि रू. 5,03,92,370/– दिनांक 7.2.20 तक विश्वविद्यालय की निजि आय की बैंक मे जमा राशि मे से जरिये चालान आयकर विभाग को जमा कराने हेतु निर्णय।

निणर्य एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.3 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही करने एवं 20 प्रतिशत राशि को आयकर विभाग में जमा करवाने के निर्णय को स्वीकृत किया जाता है तथा अपील के अर्ली डिस्पोजल हेतु आवेदन करने हेतु निर्णय लिया जाता है।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.4. विश्वविद्यालय के वित वर्ष 2019–20 के लेखो को तैयार करने एवं आडिट करने हेतु चार्टेड अकाउटेंट की नियुक्ति की अनुमति हेतु निर्णय।

निर्णय एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.4 सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2019–20 के लेखो को तैयार करने हेतु चार्टेड अकाउटेंट के चयन एवं नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.5. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित अर्जुनराम टी.टी. कॉलेज एवं विकाश टी.टी. कॉलेज पूरा की ढाणी जिला सीकर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच के आधार पर महाविद्यालयों पर रू0 3–3 लाख की शास्ति लगाई गई थी। महाविद्यालय द्वारा पुनः जॉच करवाये जाने के निवेदन पर पुनः जॉच दल का गठन किया जाकर जॉच करवाई गई । जॉच दल द्वारा महाविद्यालयों पर लगाई गई शास्ति निरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। दिनांक 28.01.2019 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की है पर चर्चा/निर्णय।

निणर्य एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.5 सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज एवं विकास टी.टी. कॉलेज की मान्यता

के लिए कुटरचित दस्तावेजों को लेकर के जालसाजी द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त की है, जो कि प्रथम दृष्टया एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। ऐसे में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथ्यों एवं प्रकरण की गम्भीरता की अवहेलना करते हुए तैयार किया हुआ प्रतीत होता है। तद्नानुसार समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में लगाई गई 3–3 लाख की शास्ति के निर्णय को यथावत रखा जाता है। तद्नानुसार संबंधित महाविद्यालयों से उक्त राशि साधारण ब्याज सहित वसूल करने का निर्णय किया जाता है। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, शिक्षा की गरीमा, अपकृत्य की प्रकृति एवं गंम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय को बार--बार संज्ञान में नहीं लेने का भी निर्णय किया जाता है तथा संबंधित पक्षों को हिदायत दी जाती है कि वे दबाब बना कर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ठेस पहूंचाने का प्रयास भविष्य में नहीं करें।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.6. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित नरेश कन्या महाविद्यालय, सिंघाना जिला झुन्झुनू के विरूद्ध प्राप्त शिकायत में जॉच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण मण्डल की अनुशंषा एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय उपरान्त उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता इस कार्यालय के आदेश कमाक 1765 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा समाप्त की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध महाविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में एसबी सिविल रिट पिटिशन सं0 13363/2018 दायर की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.06.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के सम्बध में अधिवक्ता से विधिक राय चाही गई। विधिक राय प्राप्त होने पर दिनांक 3.2.2020 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की है पर चर्चा/निर्णय।

निणर्य एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.6 सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित नरेश कन्या महाविद्यालय, सिघाना से संबंधित एवं सिविल रिट पिटिशन माननीय न्यायालय में लम्बित होने के कारण वर्तमान में सबज्यूडिस है। इस प्रकरण का निर्णय न्यायालय द्वारा प्रकरण की गुणवता के आधार पर किया जाना लम्बित है। अतः वर्तमान में इस संबंध में जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं होता है, तब तक उक्त प्रकरण पर चर्चा एवं निर्णय नहीं करने का निर्णय लिया जाता है।

एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.7. विश्वविद्यालय में खेल सचिव की नियुक्ति के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।

नोटः विश्वविद्यालय अध्यादेशानुसार विश्वविद्यालय स्पोटर्स बोर्ड के सचिव पद पर ऐसे व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकती है, जो विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी के रूप में स्पोटर्स डाइरेक्टर अथवा स्पोटर्स सुपरिडेन्टेड के पद पर नियुक्त हो। महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो सकती है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्पोटर्स डाइरेक्टर अथवा स्पोटर्स सुपरिडेन्टेड के पद पर नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं है। इसलिए एक वर्किंग/काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत/तौर पर संलग्न महाविद्यालय के स्पोटर्स शिक्षक की नियुक्ति की जाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था श्री राजेश कुमार ढाका की दो बार नियुक्ति की गई। वे इस संदर्भ में वित्तीय जबाबदारी नही लेना

चाहते थे। इसलिए विश्वविद्यालय पर दबाब बनाने के लिए स्पोटर्स की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही त्याग–पत्र दे दिया। अन्य व्यक्ति को पद ग्रहण करने से रोकने लगे। यहॉ तक की स्पोटर्स टीम जहॉ भी जाती वहॉ फोन द्वारा यह बता दिया जाता कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय स्पोटर्स की टीम स्पोटर्स में भाग लेने के लिए नहीं आ रही है। उन्होंने समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय की गरिमा के विपरित समाचार दिये। मुख्यमंत्री जी के पास भी शिकायतें की एंव विश्वविद्यालय प्रशासन को परेशान करने के लिए दबाब बनाये रखा। नये स्पोटर्स सचिव के विरूद्ध लगातार शिकायते करवाते रहें। नेट पास जैसे कुतर्क भी देते रहे।

निणर्य एजेण्ड़ा बिन्दु संख्या 4.7. नोट में उल्लेखित परिस्थितियों एवं विधिक व्यवस्था को देखते हुए जब तक विश्वविद्यालय का कर्मचारी नियमित रूप से स्पोटर्स डाइरेक्टर अथवा स्पोटर्स सुपरिडेन्ट के पद पर नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय खेल सचिव के रूप में विश्वविद्यालय के किसी अन्य नियमित अधिकारी एवं नियमित अधिकारी नहीं हो तो प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी को ही विश्वविद्यालय स्पोटर्स बोर्ड का सचिव बनाया जाने का निर्णय लिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो उसकी सहायता ऐसे व्यक्ति को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि खेल–कूद विषय का विशेषज्ञ हो। विश्वविद्यालय द्वारा स्पोटर्स के लिए देय एडवान्स सचिव को ही दिये जाऐंगे एवं सचिव ही पुनः समायोजन करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को सलाहकार नियुक्त नहीं किया जावेगा, जिसने पूर्व में सचिव/सचिव के सलाहकार के पद से त्याग–पत्र दिया हो।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

कुलसचिव

कुलपति